न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 05/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर		मारवाड़ एज्युकेशन फाउण्डेशन जरिये अध्यक्ष श्री वरूण आर्य पुत्र श्री गंगाराम आर्य

अपील अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973

उपस्थित :–
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25.07.2018

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकरण संख्या मुंतकिली प्रार्थना पत्र/एल.आर./8636/2011/जोधपुर बअनवान सरकार बनाम मारवाड एज्युकेशन में पारित आदेश दिनांक 02.04.2012 की पालना में पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा। इस पर बहस एकपक्षीय सुनी जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाता है।

तहसीलदार बिलाडा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 व 5 राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के नाम मौजा कापरडा तहसील बिलाडा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 301/2 रकबा 25 बीघा, खसरा नम्बर 301/3 रकबा 75 बीघा, खसरा नम्बर 301/4 रकबा 50 बीघा, खसरा नम्बर 301/5 रकबा 61 बीघा व खसरा नम्बर 301/6 रकबा 25 बीघा कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 236 बीघा भूमि दर्ज है, जो सिलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण योग्य है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 02.05.2011 को निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर तहसीलदार बिलाडा ने धारा 23 के तहत अपील जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जो स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

हमने अपील व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर द्वारा रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 22 (1)(ड़) का लाभ प्रदान करते हुए सिलिंग कार्यवाही समाप्त की है। राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण 1973 की धारा 22 (1)(ड़) के तहत सार्वजनिक स्वरूप की शिक्षण या अनुसंधान संस्था द्वारा धारित भूमि, यदि ऐसी भूमि की सम्पूर्ण आय ऐसी संस्था के लिये विनियोजित की जाती है, उसमें छूट के प्रावधान है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर के समक्ष प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 24.04.2011 में यह स्पष्ट अंकित किया कि उपर्युक्त परिसर के अन्दर बच्चों के पढ़ाई लिखाई से सम्बन्धित कोई क्लासेज निर्माण नही की हुई है तथा उपस्थित व्यवस्थापक श्री जयसिंह ने बताया कि यहॉ किसी प्रकार की बच्चों की पढ़ाई नही कराई जाती है। इससे यह स्वतः स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था द्वारा शिक्षण अथवा अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधी का संचालन नही किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को धारा 22 (1)(ड़) का लाभ प्रदान किया गया है, जो अनुचित है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 24.04.2011 को तैयार की गई रिपोर्ट, जो पत्रावली पर आई है, उसे रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा किसी

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

भी रूप में नकारा नही है, जो पर्याप्त साक्ष्य है। इसको नजर अन्दाज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वे कानूनी परिप्रेक्ष्य में उक्त दस्तावेजात का परीक्षण कर अथवा सत्यापन करवाया जाकर बाद विवेचन निर्णय पारित करते, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया तथा न ही तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 24.04.2011 पर गौर किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के आज्ञापक प्रावधानों की किसी भी रूप में पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2010 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए प्रकरण की नये सिरे से जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)